राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.)
एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मो & आईटी), भारत सरकार,
के प्रशासनिक नियंत्रण में, दिल्ली केंद्र
2 फ्लोर, पार्श्वनाथ मेट्रो मॉल, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास, इंद्रलोक, दिल्ली-110052

No. 02/001/2016/NDL/GDC दिनांक: **4 जनवरी, 2017**

टैक्सी सेवा प्रदाताओं के लिए पैनल बनाने का टेंडर दस्तावेज

(क) पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (meity) भारत सारकर की एक स्वायत वैज्ञानिक संस्था है , जिसे सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और उससे जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र संबंधी कार्य सौंपे गए हैं । नाइलिट ओ, ए तथा बी लेवल के कोर्स, परामर्शी सेवाएँ, तैयारशुदा परियोजनाएँ, साफ्टवेयर विकास, क्षमता निर्माण, एवं भर्ती परीक्षाएँ इत्यादि का संचालन करता है ।

नाइलिट पूरे देश में अपने केन्द्रों/विस्तारण केन्द्रों/शाखा कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 32 स्थानों पर कार्य कर रहा है जबकि वर्तमान में इसका मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्थित है । नाईलिट दिल्ली केंद्र जो कि पार्श्वनाथ मेट्रो माल, दूसरा तल, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली-110052

में स्थित है, प्रचालन के लिए पैनल में रखे गए टैक्सी सेवा प्रदाताओं से वाहन किराए पर लेता है । वर्तमान सेवा

प्रदाताओं से संविदा की अवधि पूरी हो गई है इसलिए यह टेंडर पूछताछ जारी की जा रही है । उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय का वार्षिक टैक्सी किराया प्रभार तीन लाख रुपए के लगभग है। इसमें जब भी जरूरत पड़े, दैनिक आधार पर विभिन्न प्रकार/श्रेणी के वाहन किराए पर लिया जाना शामिल है ।

(ख) सामान्य नियम व शर्तें :

1 बोली वाला लिफाफा सील किए गए लिफाफे में होना चाहिए तथा उस पर **"टैक्सी सेवा प्रदाता पैनल के लिए कोटेशन"** अवश्य लिखा होना चाहिए।

2 तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली विहित प्रोफॉर्मा में अलग अलग लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा तब जैसी भी बोली हो उसे एक लिफाफे में सील करके उस पर " टैक्सी सेवा प्रदाता पैनल के लिए कोटेशन लिखा जाना चाहिए ।

3 बोली 24 जनवरी 2017 दोपहर 2 बजे तक स्वीकार की जाएंगी तथा तकनीकी बोली दिनांक 24 जनवरी

2017 को 3 बजे बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी, यदि वे उपस्थित हुए तो ।

4 बोली के लिए सील किए गए लिफाफे जिन पर निदेशक, नाईलिट दिल्ली केंद्र, पार्श्वनाथ मेट्रो माल, दूसरा तल, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन दिल्ली-110052 का पता लिखा हो, नियत समय एवं तिथि को या उस से पहले उनके पास पहुँच जाएँ।

5 विलंब से प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

6 राशि जमा करना (बयाना ई एम डी) : सभी बोली दाताओं को नाईलिट दिल्ली के पक्ष में देय 10,000/- रुपए राशि का पे ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट बोली के साथ बयाना के रूप में लगाना होगा। बयाना राशि के बिना प्राप्त बोली रद्द कर दी जाएगी। असफल बोली दाताओं द्वारा जमा कराई गई बयाना राशि सफल बोली दाता का निर्णय हो जाने के एक माह के अंदर लौटा दी जाएगी । बयाना रूप में जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7॰ अपूर्ण बोली रद्द की जा सकती है। दरों के लिए उपलब्ध कराया गया प्रोफॉर्मा (परिशिष्ट **II**) के सभी कॉलम भारे जाने हैं , ऐसा न होने की स्थिति में बोली रद्द कर दी जाएगी ।

8 निष्पादन प्रतिभूति : सफल बोलीदाता को संविदा मिलने के 10 दिन के अंदर संविदा के अनुमानित मूल्य के 7% की दर से डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/एफ डी आर के रूप में निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/एफ डी आर संविदा मिलने की तिथि से 14 महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए । यदि सफल बोलीदाता नियत समय सीमा में निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करने में असफल रहता है तो जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी । यह भी , कि यदि सफल बोलीदाता संतोषजनक सेवा प्रदान करने में असफल रहता है तो निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है । इस संबंध में नाईलिट का निर्णय अंतिम होगा तथा संविदा प्राप्त फर्म पर बंधनीय होगा ।

9॰ तकनीकी बोली परिशिष्ट -1 पर दिये गए प्रोफॉर्मा अनुसार दी जानी चाहिए जबकि दरें वित्तीय बोली के लिए परिशिष्ट -II में संलग्न प्रोफॉर्मा अनुसार दी जाएँ । यदि बोली उपरोक्त विहित प्रोफॉर्मा अनुसार नहीं दी जाती तो इसे रद्द किया जा सकता है ।

10॰ बोलीदाता को सुनिश्चित करना होगा कि सेवा के लिए भेजा गया वाहन पूरी तरह बीमित हो तथा यदि कभी कोई क्लेम करना पड़े तो यह बीमा कंपनी से बोलीदाता द्वारा किया जाएगा । किसी प्रकार के नुकसान के क्लेम के लिए नाईलिट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी ।

11. सफल बोलीदाता द्वारा दी गई दरें संविदा तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होंगी तथा परस्पर सहमति के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

12॰ फ़र्म के पास वाहन अल्प समय में मरम्मत करने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा मरम्म्त अवधि के समय फ़र्म को उसी मॉडल /स्तर का वाहन तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए ताकि संस्थान के काम में किसी प्रकार की असुविधा/बाधा न आए । यदि अनुबंधकर्ता दो घंटे के अंदर वाहन विकल्प उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो समानुपातिक आधार पर मासिक कटौती के अतिरिक्त 50/- रुपए प्रति घंटा के हिसाब से अर्थदण्ड लगाया जाएगा ।

13॰ किसी बोली कोई बिना कारण बताए स्वीकार करने अथवा रद्द करने का अधिकार नाईलिट के पास सुरक्षित है ।

14॰ सफल बोलीदाता को अद्यतन मॉडल (2013 मॉडल से अधिक पुराने नहीं) के वाहन उपलब्ध कराने होंगे ताकि सुनिश्चित हो सके कि वाहन अच्छी हालत में हैं ।

15॰ राशि का भुगतान मासिक आधार पर संतोषजनक सेवा देने के पूर्व प्राप्ति बिल देने पर किया जाएगा ।

16॰ इस संस्थान की ड्यूटी के दौरान यदि कोई पार्किंग प्रभार/ यात्री कर लगेगा तो वह इस कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा ।

17॰ अनुबंध किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है

18॰ जहां तक संभव हो प्रोफॉर्मा में दी गई दरें स्पष्ट रूप से पठनीय हों तथा किसी प्रकार की काटा पीटी या फ्लूड का प्रयोग न किया जाए । फ्लूड लगाने/ काटा पीटी के स्थान पर कोटेशन हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए । ऐसी बोली जिसमें काटा पीटी पर अधिकृत हस्ताक्षर नहीं होंगे उन्हें रद्द कर दिया जाएगा ।

19॰ वाहन चालक शिक्षित, शिष्ट, अनुभवी हों ,दिल्ली क्षेत्र से भली भांति परिचित हों एवं स्वछ चारित्रिक रिकार्ड के होने चाहिए। चालकों की आयु 25 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

20॰ वाहन पर मासिक/नियमित आधार पर लगाए गए चालकों का पुलिस सत्यापन सफल बोलीदाता को कराना होगा ।

21॰ड्यूटी के समय चालक सही यूनिफॉर्म में हों तथा उनके पास वैध लाइसेन्स हो। वाहन के मूल दस्तावेज़ वाहन में होने चाहिए ताकि जब भी जरूरत पड़े चालक द्वारा संबन्धित अधिकारियों को दिखाये जा सकें ।

22॰ यदि कार की हालत संतोषजनक नहीं पाई जाती तो इसे तत्काल बदलने के लिए वापिस कर दिया जाएगा तथा इसे बदलना होगा ।

23॰ **पात्रता मापदंड** :

23.1   फ़र्म के पास टूर एवं ट्रेवल का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा कम से कम 15 वाहन (इनमें से कम से कम सात वाहन एक वर्ष से कम पुराने हो) हों जो कि फ़र्म या संचालक या भागीदार के नाम हों । प्रमाण स्वरूप प्रत्येक वाहन के पंजीकरण की एक फोटो प्रति तकनीकी बोली के साथ संलग्न करें, ऐसा न होने की स्थिति में बोली रद्द कर दी जाएगी ।

23.2 फ़र्म का गेरेज इस कार्यालय के आठ किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए । इस संबंध में फ़र्म को प्रमाण स्वरूप किराया रसीद/ लीज एग्रीमेंट आदि के प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न होने की स्थिति में बोली रद्द कर दी जाएगी ।

23.3 फ़र्म का पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 6,00000/- रुपए का वार्षिक कारोबार होना चाहिए । (2013-14, 2014-15, 2015-16) फ़र्म को आय व्यय विवरण की स्व्यम सत्यापित प्रति तथा सी॰ ए॰ द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, ऐसा न होने पर बोली रद्द कर दी जाएगी ।

23॰4 पिछले दो वर्षों के दौरान (2014-15 तथा 2015-16) फ़र्म नें निम्न प्रकार के ऐसे अनुबंध पूरे किए हों । फ़र्म को संबन्धित ग्राहकों से संविदा के संतोषजनक रूप से पूरा करने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न होने पर बोली रद्द कर दी जाएगी :

(क) कम से कम 4,00000/- रुपए वार्षिक मूल्य का एकल अनुबंध या

(ख) 3,00000/- रुपए वार्षिक मूल्य के दो अनुबंध या

(ग) 2,00000/- रुपए वार्षिक मूल्य के तीन अनुबंध

23.5 : फ़र्म सेवा कर प्राधिकारी के पास पंजीकृत होनी चाहिए तथा 16 अंकों का नंबर दर्शाने वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वयम सत्यापित प्रति देनी होगी, ऐसा न होने की स्थिति में बोली रद्द कर दी जाएगी ।

23.6 संचालनकर्ता के नाम फ़र्म के मामले में स्थायी लेखा संख्या होना चाहिए । संचालनकर्ता का पैन स्वीकार्य है । पैन की स्वयम सत्यापित प्रति तकनीकी बोली के साथ लगानी चाहिए । ऐसा न होने की स्थिति में बोली रद्द कर दी जाएगी ।

23.7 : यदि फ़र्म भागीदारी के अंतर्गत पंजीकृत है तो टेंडर दस्तावेज़ के साथ भागीदारी दस्तावेज़ की प्रति लगानी होगी । यदि फ़र्म कंपनी अधिनियम के अधीन या सोसाइटी पंजीकरण के अधीन पंजीकृत होगी तो तकनीकी बोली के साथ निगमन प्रमाणपात्र की प्रति लगानी होगी, ऐसा न होने की स्थिति में बोली रद्द कर दी जाएगी ।

24 : मासिक किराया आधार पर लगाए गए वाहन (चालक सहित) को बदलने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थिति में ही होगी । चूंकि ये वाहन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तथा नाईलिट द्वारा कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं, इसलिए फ़र्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जरूरी कागजात (पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा कागज, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र आदि) लाइसेंसशुदा चालक के पास रहें ।

25. वाहनो पर ड्यूटी करने वाले चालकों के नाम व पते अनुबंध मिलते ही यथाशीघ्र उपलब्ध करा देने चाहिए। मालिक/ कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के पास सीधा टेलीफोन नंबर अवश्य होना चाहिए (कार्यालय एवं आवास पर) ई -मेल सेवाएँ उपलब्ध हों तथा वह व्यक्ति मोबाइल पर भी चोबीसों घंटे उपलब्ध होना चाहिए ताकि आपात स्थिति में संपर्क सुनिश्चित हो सके । वाहन चालकों के पास मोबाइल सुविधा होनी चाहिए तथा फोन पर हर समय उपलब्ध होने चाहिए ।

26. फ़र्म की ज़िम्मेदारी होगी कि किसी भी समय यहाँ तक कि अल्प नोटिस पर भी वांछित संख्या में वाहन उपलब्ध कराये । सेवा चोबीसों घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए ।

27. यदि फ़र्म संस्थान की मांग पर कोई वाहन उपलब्ध कराने में में असफल रहती है तो मांग किए गए वाहन की श्रेणी अनुसार आधे दिन का किराया (अर्थात 4 घंटे तथा 40 किलोमीटर) की राशि अर्थदण्ड के रूप में लगाई जाएगी तथा यह राशि मासिक बिल से काट ली जाएगी ।

28. फ़र्म द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलेंगे जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद ,तथा गुड़गाँव , इसलिए उपलब्ध कराये गए वाहन, मासिक आधार पर उपलब्ध कराये गए वाहनों सहित सभी वाहन एन सी आर दिल्ली में चलने के लिए उपयुक्त होने चाहिए ।

29. चुनी गई फ़र्म की अवस्थिति चाहे कहीं भी हो, उपलब्ध कराये गए वाहन (नियमित वाहन सहित) नाईलिट से आरंभ/ समाप्ति करेंगे । इस प्रकार वाहन की माइलेज नाईलिट दिल्ली केंद्र, पार्श्वनाथ मेट्रो मौल, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन, से / तक गिनी जाएगी, जब तक कि पार्श्वनाथ मेट्रो मौल, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के अतिरिक्त कहीं और के लिए आरंभ / समाप्ति के लिए न कहा जाए ।

30. फ़र्म द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहनों की अच्छी हालत के लिए इस संस्थान के प्रतिनिधि उपलब्ध वाहनों का नियमित निरीक्षण करेंगे , ठीक हालत न पाये जाने पर प्रत्येक अवसर के लिए चूककर्ता फ़र्म को 500/- रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा ।

31。 टेलीफोन पर सूचना मिलने के बाद अपेक्षित स्थान पर पहुँचने में 20 मिनट से अधिक का समय लगता है तो प्रत्येक 15 मिनट की देरी के लिए 50/- रुपए का अर्थदंड फ़र्म पर लगाया जाएगा ।

32。 बोलीदाता को सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल निकट के पेट्रोल पम्प से भरवाने का प्रबंध करें, इसके लिए कोई अतिरिक्त माइलेज नहीं दी जाएगी । यदि कोई कर अथवा लेवी होगी तो वह वास्तविक आधार पर (रसीद प्रस्तुत करने पर) नाईलिट द्वारा दी जाएगी । अत: दरें इसको ध्यान में रखते हुए दी जाएँ ।

33。 यदा -कदा मंगाए गए सभी वाहनों को दैनिक ड्यूटी रोस्टर रखना होगा जो कि कार प्रयोग करने वाले अधिकारी से हस्ताक्षर / सत्यापित कराना होगा । ऐसे ड्यूटी रोस्टर बिलों के साथ संस्थान में प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

34。 इस टेंडर दस्तावेज़ की एक प्रति जो कि प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षरित हो, विहित प्रोफॉर्मा में कोटेशन के साथ देनी चाहिए ताकि ‘ नियम व शर्तों ‘ की स्वीकृति का पता लग सके ।

35。 इस टेंडर के अंतर्गत अनुबंध की व्याख्या भारतीय कानून के अनुसार होगी तथा दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में होगी ।

36。 इस टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार के विवाद, मतभेद जिसमें कि संविदा समाप्त करने अथवा कार्यान्वयन संबंधी विवाद या मतभेद शामिल हैं, यह सब आर्बिट्रेशन एवं कन्साईलेशन आधिनियम 1966 के प्रावधान के अंतर्गत नियुक्त आर्बिट्रेटर अथवा उस समय किसी बदलाव या कानून को प्रस्तुत किए जाएंगे । आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा तथा आर्बिट्रेशन का स्थान / अधिकार क्षेत्र नई दिल्ली होगा ।

37。 सभी अर्थदंड अधिकतम अनुबंध मूल्य के 10% होंगे, और यदि अर्थदंड की राशि अधिकतम सीमा से बढ़ जाती है तो उचित नोटिस के साथ दिया गया अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा ।

38。 नाईलिट ड्यूटी पर लगाए गए चालकों और उन्हें लगाने वाली एजेंसी के बीच वेतन, भत्तों, सेवा शर्तों के किसी विवाद के लिए नाईलिट जिम्मेदार नहीं होगा। चालक और एजेंसी के बीच सभी मामले (वाहन दुर्घटना एवं चालक सहित) एजेंसी द्वारा ही निपटाए जाएंगे, नाईलिट किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा न ही ऐसे मामले नाईलिट के ध्यान में लाये जाएंगे

39。 मूल्यांकन मापदंड :

(क) तकनीकी बोली : तकनीकी बोली खोली जाएगी और उनका मूल्यांकन इस टेंडर दस्तावेज़ के पात्रता मापदंड के संदर्भ में किया जाएगा ।

(ख) वित्तीय बोली : वित्तीय बोली केवल उन वेंडर्स की खोली जाएगी जिन्हें तकनीकी बोली खोलने के बाद छांट लिया जाएगा । इस टेंडर दस्तावेज़ के मापदंड अनुसार वेंडर्स का मूल्यांकन किया जाएगा । 80 किलोमीटर और 8 घंटे ड्यूटी पूरा दिन , 40 किलोमीटर और 4 घंटे की ड्यूटी आधा दिन के लिए बोलीदाता द्वारा न्यूनतम दरें (कर छोडकर) कोट करने वाले बोलीदाता को अनुबंध दिया जाएगा । पिकअप / ड्रॉप करना तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर / प्रति घंटा की दरों को मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाएगा ।

तकनीकी बोली के लिए प्रोफॉर्मा

1 संगठन का नाम, पता, ई-मेल, व टेलीफोन न॰

2 व्यवसाय शुरू करने की तिथि
(कथन के समर्थन में प्रमाण लगाएँ)

3 संगठन की स्थिति (स्वामित्व, भागीदारी, प्राइवेट लि॰,पब्लिक लि॰ कंपनी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम इत्यादि के अधीन पंजीकृत)

4 संगठन की पंजीकरण संख्या (कृपया पंजीकरण/निगमन/भागीदारी दस्तावेज़ का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

5 सी ई ओ/स्वामी/भागीदार का नाम

6 नाम, पदनाम व पता (फोन/मोबाइल न॰/ई-मेल)
(जिससे संपर्क किया जा सके)

7 टूर व ट्रेवल व्यवसाय शुरू करने की तिथि (प्रमाण लगाएँ)

8 वार्षिक कारोबार (बेलेन्स शीट/आकार रिटर्न/सी ए प्रमाणपत्र लगाएँ)
वर्ष 2013 -14 2014 - 15 2015 - 16

9 सेवा कर न॰ (सेवाकर पंजीकरण की प्रति लगाएँ

10 संगठन/स्वामी का स्थायी लेखा संख्या (यदि संचालनकर्ता संगठन का पैन जारी नहीं हुआ तो संगठन का नाम) प्रति लगाएँ ।

11 संगठन का विवरण जहां ऐसी सेवाएँ दी जा रही हैं, जो कि टेंडर दस्तावेज़ की धारा 23.4 के निर्धारित पात्रता मापदंड पूरे करता है ।

क्रम स॰	नाम व पता	संपर्क व्यक्ति का नाम /फोन न॰	अनुबंध का वार्षिक मूल्य	सेवाएँ कब से दी जा रही हैं ।

12 बोली प्रस्तुत करने वाले दिन दिल्ली और आस पास ग्राहको की संख्या जिन्हें सेवा प्रदान की जा रही है । (पते व फोन न॰ की सूची सहित)

13 संगठन के स्वामित्व वाले वाहनो की संख्या <(कृपया पूरी सूची लगाएँ जिसमें प्रत्येक वाहन का मॉडल,नाम, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण का वर्ष इंगित हो।

14 जमा की गई बयाना राशि का विवरण : डी डी /पे ऑर्डर : संख्या : दिनांक ---
रुपए 10,000/- बैंक का नाम :

15 संगठन/ गैरेज की अवस्थिति : (कृपया धारा 23.2 देखें) — नाईलिट के पक्ष में नई दिल्ली पर देय लीज़ एग्रीमेंट/किराया रसीद/अन्य

घोषणा :

(क) प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना सही है ।

(ख) मैंने/हमने टेंडर दस्तावेज़ के नियम व शर्तें अच्छी तरह पढ़ ली हैं एवं इनके मानने की पुष्टि करते हैं । टेंडर दस्तावेज़ की एक प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर हैं, नियम व शर्तें स्वीकार करने के रूप में संलग्न है।

(ग) इस बोली का हस्ताक्षरकर्ता संगठन की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है।

हस्ताक्षर -------------------

नाम ---------------------------

पदनाम -----------------------

दिनांक -----------------------------

संगठन की मोहर -----------.

परिशिष्ट - II

<u>वित्तीय बोली के लिए प्रोफॉर्मा</u>

संगठन का नाम, पता, ई-मेल व टेलीफ़ोन नंबर

____
____
____

विवरण	ईटिओज(लिवा)/वैगन आर/ स्विफ्ट/रिट्ज़/(ए.सी.) रुपए	इण्डिगो/डिज़ायर/ईटिओज (ए.सी.) रुपए	इनोवा/ज़ाइलो/डस्टर (ए.सी.) रुपए
80 कि.मी. 8 घण्टे			
40 कि.मी. 4 घण्टे			
40 कि.मी./ 80 कि.मी.			
के बाद अतिरिक्त प्रति घण्टा			
4 घण्टे / 8 घण्टे के बाद अतिरिक्त प्रति घण्टा			
पिकिंग / ड्रोपिंग कि दर, प्रति कि.मी.			
कर			

1. पुष्टि कि जाती है कि हमने टेण्डर दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम व शर्ते पढ़ ली है , तथा हम इन नियम व शर्तों को मानने का वचन देते है।
2. टेण्डर दस्तावेज़ कि एक प्रति जिसके प्रत्येक प्रष्ठ पर हस्ताक्षर किए गए है , पूरी तरह हस्ताक्षरित संलग्न है।

दिनाँक :____________

हस्ताक्षर :________________

नाम :__________________

पदनाम : ________________

संगठन कि मुहर